सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र
Centre for Cultural Resources and Training
(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

सीसीआरटी/11015/2/2019
06 अगस्त, 2019

महोदय,

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है। सीसीआरटी द्वारा देश के विभिन्न भागों में सेवारत शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इनका शैक्षिक भ्रमण केन्द्र द्वारा करवाया जाता है। सीसीआरटी स्कूली/छात्र/छात्राओं के लिए भी विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों/संग्रहालयों तथा कला वीथियों के शैक्षिक भ्रमण आयोजित करता है। इसी संबंध में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अधिकारिक कारणों हेतु केन्द्र में बसों की निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। यदि आप बस सेवाऐं देने के लिए इच्छुक हैं, तो संलग्न निविदा फार्म भरकर मोहरबंद निविदा सीसीआरटी को भेजें। लिफाफे के बाहरी आवरण पर "अनुबंध के आधार पर बस किराए में देने हेतु निविदा" अवश्य लिखा होना चाहिए।

निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि 26 अगस्त, 2019 सायं 3.00 बजे तक है।

भवदीय,

(एस. बी. वर्मा)
प्रभारी (सामान्य प्रशासन)

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र
प्लॉट नं. 15 ए, सेक्टर-7, द्वारका
नई दिल्ली-110075

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त, 2019 अपराहन 3.00 बजे।

2. निविदा खोलने की तिथि 28 अगस्त, 2019 अपराहन 4.00 बजे।

(I) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था है। सीसीआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए अल्पावधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान अध्यापकों के लिए दिल्ली शहर में स्मारकों/संग्रहालयों/प्राकृतिक उद्यानों आदि का शैक्षिक भ्रमण करवाया जाता है। सीसीआरटी दैनिक आधार पर बस (52/36) सीट उपलब्ध करवाने हेतु सर्विस टैक्स नम्बर एवं पेन कार्ड रखने वाली प्रतिष्ठित ऐजेंसियों से निविदाएँ/दरें आमंत्रित करता है।

(II) निविदा में वर्णित दरें 01/09/2019 से 31/03/2020 तक वैध होगी।

(III) निविदा का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	अवधि	घंटे	किलोमीटर	किराये पर ली जाने वाली/बस का प्रभार (52 सीट/36 सीट)
1.	पूरे दिन डयूटी	8 घंटे	80 किलोमीटर	
2.	आधे दिन डयूटी	4 घंटे	40 किलोमीटर	
3.	अतिरिक्त प्रति किलोमीटर	....	....	
4.	अतिरिक्त प्रति घंटा	....	....	

समय और दूरी की गणना सीसीआरटी कार्यालय से वापस कार्यालय तक के आधार पर की जाएगी।

(IV) सेवा शर्तें निम्न होंगी :

1) बसें अच्छी हालत में होनी चाहिए तथा वाहन का मॉडल वर्ष 2014 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान मापदण्डों के आधार पर होनी चाहिए।

2) ड्राइवर/कंडैक्टर का व्यवहार सीसीआरटी स्टॉफ और प्रतिभागियों के प्रति सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिए तथा ड्राइवर ट्रैफिक क़े मापदण्डों की संपूर्ण जानकारी वाला होना चाहिए।

3) प्रत्येक कार्यक्रम में बिलों का भुगतान, बिल प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर किया जाएगा बिल भुगतान हेतु बस ऐजेंसी को सेवा प्रदान किए जाने के पंद्रह दिनों के अंदर बिल, सीसीआरटी, नई दिल्ली में भुगतान प्रतिपूर्ति हेतु देना होगा, अन्यथा बिल भुगतान में देरी के लिए सीसीआरटी उत्तरदायी नहीं होगा।

4) फर्म द्वारा इस क्षेत्र में पिछले अनुभव का ब्यौरा दिया जाना चाहिए और पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन संस्थानों को बस की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, उन संस्थानों के, विशेष रूप से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम व पते आदि दर्शाये जाने चाहिए।

5) निविदा, जिस व्यवस्था एवं प्रारूप में मांगी गई है, संपूर्ण रूप से ब्यौरेवार भर कर भेजी गई निविदाओं को ही मान्यता दी जाएगी। ब्यौरे/प्रारूप में खाली नहीं छूटने चाहिए। अन्यथा ऐसी निविदाऐं अपूर्ण घोषित की जा सकती है एवं ऐसी निविदाओं को रद्द मानकर उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6) बसें अपने निर्धारित प्रस्थान समय से ठीक 30 मिनट पहले सीसीआरटी परिसर या रिपोर्टिंग के लिए बताए गए स्थान में पहुँच चानी चाहिए।

7) सरकारी नियमानुसार टी.डी.एस. की वसूली भी स्रोत स्वरूप मासिक बिल से काटकर सरकारी लेखा में जमा की जाएगी।

8) फर्म को अपने प्रस्ताव में यह प्रमाणित करना चाहिए कि वे निविदा अनुसूची में दी गई सेवा-शर्तों का अनुपालन करेंगे। सभी पार्किंग शुल्क फर्म द्वारा वहन किए जाएंगें।

9) चयनित ट्रांसपोर्ट द्वारा सीसीआरटी, नई दिल्ली के नाम से देय रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार केवल) को डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। यह राशि ब्याज मुक्त होगी और असंतोषजनक सेवा की स्थिति में सीसीआरटी, नई दिल्ली द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

10) निदेशक को संबोधित निविदा, धरोहर राशि के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार केवल) डिमांड ड्राफ्ट, के साथ समय पर पहुँच जानी चाहिए (यह राशि प्रतिदेय होगी)।

11) स्वीकृत सेवा-शर्तों के आधार पर बसें उपलब्ध कराने के लिए फर्म को सीसीआरटी के साथ एक करार (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने होगें।

12) निदेशक, सीसीआरटी के पास बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। सीसीआरटी के निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

13) यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाएँ असंतोषजनक पाई गई तो निदेशक, सीसीआरटी को स्व-विवेक से अनुबद्ध को रद्द करने का अधिकार है।

14) ट्रांसपोर्टर के पास अपने नाम की कम से कम चार बसें अवश्य होनी चाहिए तथा उनके मूल कागजात भी कार्यालय को प्रस्तुत करने होंगे। निविदा के साथ इन कागजात की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

15) तय एवं मान्य दरें 31/03/2020 तक प्रभावी होगीं और किसी भी कारण अथवा ईंधन की कीमतों में बढ़ोत्तरी पर भी स्वीकृत दरें बढ़ाई नहीं जाएँगी।

(एस. बी. वर्मा)
प्रभारी (सामान्य प्रशासन)